न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/117 **दायरा दिनांक : 20.07.2022**

उनवान

1. बद्रीलाल उम्र 65 वर्ष पुत्र मोरपाल, जाति मीणा, निवासी खरखडा आसन, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
2. पृथ्वीराज उम्र 57 वर्ष पुत्र रामलाल, जाति मीणा, निवासी कोटडी, तहसील व जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. मूर्ति श्री महादेव जी बिराजमान सोरसन नाबालिग जरिये पुजारी दुर्गाशंकर पुत्र गोपाल गिरी गोस्वामी, जाति गुसाई, निवासी सोरसन, तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां, जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बाबू लाल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री नरेन्द्र सिंह हाडा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 13.12.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 48/2007/दावा निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि मन्दिर महादेव जी के खाते की आराजी ग्राम जगन्नाथपुरा, तहसील बारां में खसरा नं. 45 रकबा 4.19 हेक्टर, खसरा नं. 46 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नं. 47 रकबा 0.24 हेक्टर, खसरा नं. 48 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नं. 50 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नं. 51 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नं. 52 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नं. 53 रकबा 1.90 हेक्टर, खसरा नं. 54 रकबा 0.78 हेक्टर, खसरा नं. 55 रकबा 1.47 हेक्टर, खसरा नं. 283 रकबा 0.18 हेक्टर, खसरा नं. 538/802 रकबा 0.18 हेक्टर, खसरा नं. 542 रकबा 0.53 हेक्टर, खसरा नं. 544 रकबा 4.17 हेक्टर, खसरा नं. 545 रकबा 0.27 हेक्टर, खसरा नं. 559 रकबा 1.90 हेक्टर, खसरा नं. 560 रकबा 1.81 हेक्टर, खसरा नं. 562 रकबा 4.84 हेक्टर, खसरा नं. 563 रकबा 1.84 हेक्टर, खसरा नं. 564 रकबा 0.50 हेक्टर, खसरा नं. 565 रकबा 0.34 हेक्टर, खसरा नं. 566 रकबा 0.55 हेक्टर, खसरा नं. 567 रकबा 0.69 हेक्टर, खसरा नं. 568 रकबा 0.63 हेक्टर, खसरा नं. 569 रकबा 1.18 हेक्टर, खसरा नं. 570 रकबा 1.34 हेक्टर, खसरा नं. 571 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नं. 572 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नं. 573 रकबा 0.22 हेक्टर, खसरा नं. 574 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नं. 575 रकबा 0.76 हेक्टर, खसरा नं. 576 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा नं. 577

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

रकबा 0.43 हेक्टर, खसरा नं. 578 रकबा 0.41 हेक्टर, खसरा नं. 579 रकबा 0.48 हेक्टर, खसरा नं. 580 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नं. 521/144 रकबा 1.96 हेक्टर कुल किता 37 रकबा 34.80 हेक्टर अवस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2021 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं करने में भारी भूल की है। उपरोक्त प्रकरण में गलत रूप से निर्णय किया गया है क्योंकि यह प्रकरण माननीय न्यायालय में दिनांक 14.05.2007 को दर्ज किया गया था, कुल 37 किता रकबा 34.80 हेक्टर भूमि के बाबत विवाद था। दिनांक 31.05.2007 को अपीलांट क्रम 01 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई तथा दिनांक 06.07.2007 को अपीलांट क्रम 01 ने एक तरफा कार्यवाही मंसूख करने के लिए प्रार्थना पत्र लगाया जिस पर दिनांक 27.07.2007 को एक तरफा कार्यवाही निरस्त कर दी गई तथा वास्ते जवाब 09.08.2007 तारीख दी गयी। दिनांक 04.12.2007 को श्यामलाल पुत्र देवलाल मीणा, निवासी जगन्नाथपुरा, तहसील बारां की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 दी0 प्र0 सं0 का पेश हुआ जिस पर तारीख 19.12.2007 दी गयी। दिनांक 15.04.2008 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 दी0 प्र0 सं0 का रघुराज, धर्मेन्द्र, सिकन्दर, विष्णु, महावीर पुत्री मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी जगन्नाथपुरा की ओर से पेश हुआ जिस पर जवाब के लिए तारीख 09.05.2008 दी गयी। दिनांक 02.02.2015 को पत्रावली वास्ते जवाब आदेश 1 नियम 10 सी. पी. सी. में चलती रही तथा बिना जवाब लिये एवं उपरोक्त आदेश 1 नियम 10 दी0 प्र0 सं0 के प्रार्थना पत्रों का निर्णय किये बगैर पत्रावली दिनांक 28.08.2018 को एक तरफा कार्यवाही करते हुए सबूत वादी में डाल दी गयी। दिनांक 22.02.2019 को एक तरफा बयान सबूत वादी में लेकर पत्रावली एक तरफा बहस में डाल दी गयी तथा दिनांक 26.11.2021 को एक तरफा निर्णय कर दिया, जिसकी अपीलांटगण को कोई सूचना नहीं दी गयी।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवायी के लिए रिमाण्ड किया जावे क्योंकि प्रकरण में अपीलांट को न तो जवाब के लिये समय दिया गया है और ना ही जब प्रकरण में आदेश 1 नियम 10 सी0 पी0 सी0 के प्रार्थना पत्र विभिन्न पक्षकारों के पेन्डिग चल रहे थे, उनका निर्णय किये बगैर जो अंतिम आदेश व डिक्री पारित की गई है वह सर्वथा निरस्तनीय है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र का निर्णय करना चाहिएथा, उसके उपरान्त अपीलांटगण का जवाब लेकर, तनकी बनाकर अपीलांटगण की साक्ष्य लेकर निर्णय करना चाहिए था, किन्तु ऐसा न करके अपीलांटगण के साथ भारी अन्याय किया गया है।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 22.06.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया है। प्रार्थना पत्र निर्णित नहीं किये गये जो पेडिंग चल रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा बयान व सबूत वादी लेकर बहस में डाल कर दिनांक 26.10.2021 को निर्णय पारित कर दिया गया। मा. राजस्व मण्डल अजमेर ने 800/– प्रति बीघा प्रतिवर्ष कैश सिक्युरिटी का आदेश कर रखा है। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पर निर्णय किया जाये, सबूत प्रतिवादी लिये जाकर पुनः निर्णय किये जाने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जाये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् है। पत्रावली रिमाण्ड किये जाने पर हमे कोई आपत्ति नहीं है।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का अवलोकन किया। वादी रेस्पोडेंट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में अंतर्गत धारा–183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.11.2021 से वादी का वाद स्वीकार कर निर्णय पारित किया कि विवादित आराजी वाके ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील बारां की कुल किता 37 रकबा 34.80 हेक्टर भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाये जाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है तथा विवादित भूमि को रिसीवर से मुक्त किया जाता है। अपीलांट प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14/05/2007 को वादी रेस्पोडेंट नं. 1. ने प्रतिवादीगण अपीलांट के विरूद्ध दावा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31/05/2007 को प्रतिवादी नं. 1 के विरुद्ध एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई जिसे सेट ए साइट करवाने के लिए दिनांक 06/07/2007 को प्रतिवादी नं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को दिनांक 27/07/2007 को स्वीकार कर एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश को निरस्त कर दिया । दिनांक 04/12/2007 को श्यामलाल पुत्र देवलाल मीणा की ओर से आदेश 1, नियम 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिस पर सुनवाई हेतु दिनांक 19/12/2007 दी गयी। दिनांक 15/04/2008 को रघुराज, धर्मेन्द्र, सिकंदर, विष्णु, महावीर पुत्र मांगीलाल मीणा ने आदेश 1, नियम 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु दिनांक 09/05/2008 तारीख दी गई। तत्पश्चात दिनांक

(दीप्ति रामचन्द्र मीणा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

02/02/2015 तक पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 1, नियम 10 सी.पी.सी. में चलती रही। प्रार्थना पत्रों का जवाब लिए बिना और निर्णय किये बिना पत्रावली दिनांक 28/08/2018 को प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए सबूत वादी में डाल दी गई। दिनांक 22/02/2019 को एक तरफा बयान, सबूत वादी लेकर पत्रावली एक तरफा बहस में डाल दी गई तथा दिनांक 26/11/2021 को एक तरफा निर्णय कर दिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पलावली के अवलोकन से अपीलांट द्वारा अपील में अंकित समस्त तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया। अपीलांट द्वारा अंकित उक्त आदेश 1, नियम 10 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रों के साथ ही अन्य दो प्रार्थना पत्र आदेश 1, नियम 10 सी.पी.सी. दिनांक 15/04/2008 अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुए। जिसमें से दिलीपसिंह, विजयसिंह पुत्र रामकिशन का प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड पर लिया गया आदेशिका दिनांक 15/04/2008 के अनुसार। एक अन्य प्रार्थना पत्र जो रमेशचंद्र पुत्र रामलाल, जाति मीणा द्वारा प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली में संलग्न है परंतु उसका उल्लेख पत्रावली की आदेशिका पर नहीं है। उक्त समस्त आदेश 1, नियम 10 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रों का जवाब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त नहीं किया गया और ना ही इन प्रार्थना पत्रों पर बाद सुनवाई निर्णय पारित किया गया। निर्णय पारित करने से पूर्व इन समस्त प्रार्थना फत्रों में अंकित तथ्यों की विधिवत जाँच करते हुए उनको निर्णित करना आवश्यक था। समस्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य वादी के विरुद्ध एवं गंभीर प्रकृति के होने से इनकी विधिवत जांच करते हुए उनका निस्तारण करना हम वैधानिक रूप से आवश्यक समझते है। अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम रूप से अपना निर्णय एवं डिक्री पारित करने से पूर्व न्यायालय की कार्यवाही हेतु निर्धारित विधिक प्रक्रिया का पालना करना नहीं पाया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2021 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पत्रावली में सलंग्न समस्त आदेश 1, नियम 10 के प्रार्थना पत्रों पर विधिवत कार्यवाही करते हुए उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः विधिवत तनकीवार निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.02.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/12/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा